

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

संख्या: 16152/उ.प्र. रेरा/लेखाकार भर्ती/2024-25


दिनांक: 29 नवम्बर, 2024

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय, लखनऊ में लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय, लखनऊ में प्राधिकरण के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के माध्यम से 02 लेखाकार की आवश्यकता है। उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव निम्नवत है:-

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा संस्थान से एकाउण्टेन्सी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कम्प्यूटर संचालन में ओ-लेवल का डिप्लोमा सरकारी संगठन अथवा सरकारी उपक्रम/प्रतिष्ठान में डबल इंट्री एकाउण्टिंग सिस्टम के साथ वित्त एवं लेखा सम्बन्धित कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता।"

उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद की टर्म्स एण्ड कंडीशन तथा आवेदन का प्रारूप उ.प्र. रेरा की वेबसाइट <https://up-rera.in> पर दिनांक: 30-11-2024 से उपलब्ध रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उ.प्र. रेरा की वेबसाइट <https://up-rera.in> के CAREER लिंक पर जा कर दिनांक: 30-11-2024 से दिनांक: 16-12-2024 की सायं 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।


सचिव, रेरा।

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

संख्या: 16152

उ.प्र. रेरा/लेखाकार भर्ती/2024-25

दिनांक: 29 नवम्बर, 2024

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय, लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर में लेखाकार के पद पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने हेतु सेवा शर्तें

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय, लखनऊ में प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के माध्यम से लेखाकार की सेवा शर्तें निम्नवत हैं:-

1. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित किए जा रहे पद पर पुनर्नियोजन के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 60 से 62 वर्ष के मध्य होनी चाहिए एवं दिनांक: 01-12-2024 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित किए जा रहे पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
3. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद में प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में शासकीय नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आवेदक पत्र के साथ साक्षात्कार की तिथि को नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक जाँच एवं सर्तकता जाँच प्रचलित नहीं है।
4. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद में पुनर्नियोजन के माध्यम से चयनित कार्मिक को अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो, तक आबद्ध किया जाएगा।
5. पुनर्नियोजन की दशा में अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजकीय चिकित्सालय से चिकित्सीय परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन की दशा में वेतन/मानदेय का भुगतान उ.प्र. राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु विद्यमान नियमों के अनुरूप किया जाएगा।
7. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में चयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की सूचना अभ्यर्थियों के ई-मेल/मोबाइल नम्बर पर दी जाएगी एवं उ.प्र. रेरा की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
8. किसी या सभी आवेदन पत्रों को बगैर कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष प्राधिकरण में निहित होगा।

9. केवल अर्ह एवं शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
10. प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के निमित्त विज्ञापित पद हेतु निर्दिष्ट वेतनमान एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल के पद धारक ही अर्ह होंगे।
11. प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद के सापेक्ष अभ्यर्थियों के किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत पत्राचार को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि आवेदन के उपरान्त किसी भी प्रकार की सूचना हेतु वेबसाइट एवं अपनी ई-मेल आई.डी. को नियमित रूप से देखें।



(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव